

छठी लघु सिंचाई गणना
[संदर्भ वर्ष:2017-18]
में
आँकड़े संग्रह करने हेतु
अनुदेश पुस्तिका



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
लघु सिंचाई (सांख्यिकी) स्कन्ध

अनुसूचियों के प्रकार

इस छठी लघु सिंचाई गणना में तीन प्रकार की अनुसूचियाँ निर्धारित की गई हैं:- (i) ग्राम अनुसूची (ii) भूजल योजनाओं की अनुसूची एवं (iii) सतही जल योजनाओं की अनुसूची। इनके अलावा जल निकायों की गणना में दो प्रकार की अनुसूचियाँ निर्धारित की गई हैं यथा i) शहरी अनुसूची (ii) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक जल निकाय के लिए आँकड़ों के संग्रह हेतु एक अनुसूची।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्राम अनुसूची में ग्राम के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल एवं ग्राम में स्थित लघु सिंचाई योजनाओं, जल निकायों की जानकारी से संबंधित मद सम्मिलित हैं और इसे उस पटवारी/ ग्राम के अधिकारी द्वारा भरा जाना है जिसके पास उस गाँव के राजस्व संबंधित दस्तावेज हों।

- I. भूजल संरचनाओं की अनुसूची में संबंधित भूजल स्कीम (कुंआ/उथले नलकूप/ मध्यम गहरे नलकूप/ गहरे नलकूप) संबंधी विस्तृत आँकड़ों की जानकारी हेतु संबंधित मदों का समावेश किया गया है। ग्राम में स्थित ऐसी प्रत्येक भूजल योजना के संबंध में एक अनुसूची भरी जायेगी जो कि वर्तमान में सिंचाई हेतु उपयोग में है। वर्ष 2017-2018 के दौरान या उसके पहले स्थापित योजनाओं के लिए ही अनुसूची भरनी है। वे योजनाएँ जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान या उससे पहले से सिंचाई उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें इस गणना में शामिल नहीं करना है।
- II. सतही जल योजनाओं की अनुसूची में संबंधित सतही जल स्कीम (सतही प्रवाह योजना/ सतही लिफ्ट सिंचाई योजना) संबंधी आँकड़ों की जानकारी हेतु संबंधित मदों का समावेश किया गया है। ग्राम में स्थित ऐसी प्रत्येक सतही जल योजना के संबंध में एक अनुसूची भरी जायेगी जो कि वर्तमान में सिंचाई हेतु उपयोग में है। वर्ष 2017-2018 के दौरान या उसके पहले स्थापित योजनाओं के लिए ही अनुसूची भरनी है। वे योजनाएँ जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान या उससे पहले से सिंचाई उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें इस गणना में शामिल नहीं करना है।
- III. शहरी अनुसूची में शहरी क्षेत्र की पहचान से संबंधित सूचना, गणना की तिथि, शहर में कुल वार्डों की संख्या और जल निकाय के प्रकार के अनुसार जल निकाय की संख्या गणक द्वारा भरी जाएगी।
- IV. जल निकाय अनुसूची में जल निकाय, उपयोग, लागत, स्वामित्व, मरम्मत, फोटो, जल निकाय का अक्षांश ओर देशांतर, भंडारण क्षमता आदि के प्रकार से संबंधित विस्तृत आँकड़ों से संबंधित मदें हैं।

- V. प्रत्येक राजस्व गांव की गणना से ऐसी सभी लघु सिंचाई योजनाओं के आँकड़ों को एकत्र किया जाएगा जो या तो उपयोग में हैं। वर्ष 2017-2018 के दौरान या उसके पहले स्थापित योजनाओं के लिए ही अनुसूची भरनी है। वे योजनाएँ जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान या उससे पहले से सिंचाई उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें इस गणना में शामिल नहीं करना है। संस्थागत स्वामित्व वाली लघु सिंचाई योजनाओं/ जल निकायों के मामले में एकत्रित जानकारी को उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापित करना भी आवश्यक है ।

लघु सिंचाई गणना के लिए संकल्पनाएं एवं परिभाषाएं

कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए):

वह क्षेत्र जिसमें किसी स्कीम के तहत सिंचाई की जा सकती है और जो खेती के लिए उपयुक्त होता है।

कृषि योग्य क्षेत्र:

इसके अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र, परती भूमि, वर्तमान बंजर (परती) क्षेत्र, अन्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि एवं विविध पेड़ों, फसलों के अंतर्गत की भूमि आती है।

सकल सिंचित क्षेत्र:

एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की गणना, बार-बार उगाई और सिंचित की गई फसलों की संख्या के आधार पर, करते हुए उसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाला सिंचित क्षेत्र ।

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल:

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वह क्षेत्र है जहाँ खेती की जाती है और संदर्भ वर्ष में कम से कम एक बार सिंचित होती है।

सृजित सिंचाई क्षमता: (IPC)

किसी एक स्कीम द्वारा किसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल सकल क्षेत्र/ एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की गणना, कई बार उगायी गई सिंचित फसल की संख्या के आधार पर की जाती है। यदि इस योजना की मूल सिंचाई क्षमता पता नहीं है तो पिछले पांच वर्षों का अधिकतम सिंचित क्षेत्र आईपीसी के रूप में लिया जा सकता है।

सिंचाई क्षमता का उपयोग: (IPU)

वर्ष के दौरान स्कीम के तहत सिंचाई किए जाने वाले सकल प्रस्तावित क्षेत्र में से संदर्भ वर्ष के दौरान वास्तव में सिंचित सकल क्षेत्र।

लघु सिंचाई (एमआई) स्कीम:

2000 हेक्टेयर तक के सीसीए वाली स्कीम को लघु सिंचाई स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा जो केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए हैं।

मध्यम सिंचाई स्कीम:

2000 हे. से अधिक और 10000 हे. तक की सीसीए वाली स्कीम मध्यम स्कीम होती है।

वृहद सिंचाई स्कीम:

10000 हे. से अधिक के सीसीए वाली स्कीम वृहद सिंचाई स्कीम होती है।

स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली :


स्प्रिंकलर सिंचाई, सिंचाई जल प्रयोग करने की वह विधि है जो वर्षा जल के समान है। जल का वितरण सामान्यतया पंपिंग द्वारा पाइपों की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसे पूरी मिट्टी की सतह पर स्प्रे हेड के माध्यम से इस प्रकार छिड़काव किया जाता है ताकि यह टूटकर छोटी-छोटी जल की बूंद बनकर भूमि पर गिर सके।

ड्रिप (टपकन) सिंचाई प्रणाली :

ड्रिप (टपकन) सिंचाई प्रणाली फसल के लिए जल को मुख्य लाइनों, उपमुख्य लाइनों और शाखा लाइनों के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए साव बिंदुओं से उनके लिए बनाई गई ड्रिप्पर/एमिटर के माध्यम से ले जाया जाता है। प्रत्येक ड्रिप्पर/ एमिटर, औरिफिस परिमित और संक्षेप रूप में नियंत्रित एक समान जल का प्रयोग पोषक और अन्य अपेक्षित विकास संबंधी तत्वों की आपूर्ति सीधे तौर पर पौधे के जड़ क्षेत्र में करते हैं ।

नॉन सबमर्सिबल या सेंट्रीफ्यूगल पम्प :

यह पम्प का सबसे आम प्रकार है । आमतौर पर पम्प विद्युत मोटर के साथ बंद युग्मित होता है अर्थात् पम्प, मोटर ड्राइव के शाफ्ट पर लगा होता है और पम्प को मोटर के साथ इस तरह जोड़ (बोल्ड) लिया जाता है की यह पूर्ण रूप से एक इकाई की तरह लगता है। पानी, आम तौर



पर, पम्प में एक तरफ लगे चूषक प्रवेशिका (सकसन इनलेट) के माध्यम से प्रवेश करता है और शीर्ष से बाहर निकलता है । लगभग सभी सुवाह्य (पोर्टेबल) पम्प अंत चूषक (एण्ड सकसन) सेंट्रीफ्यूगल पम्प होते हैं। यदि कोई पम्प अगले दो विवरणित पंपों में से नहीं है तो हो सकता है कि वह अंतः चूषक (एण्ड सकसन) सेंट्रीफ्यूगल पम्प है। इस तरह के पम्पों को उपयोग में लाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि इन पम्पों को उच्च पानी के स्तर से ऊपर एक मजबूत पैड या आधार पर स्थापित किया जाए, जैसे किसी झील या नदी से पानी पम्प करते समय ।

सबमर्सिबल पम्प :

इन पम्पों को पूरी तरह से मोटर समेत पानी के भीतर स्थापित किया जाता है। पम्प की एकल इकाई में विद्युत मोटर एवं पम्प संयुक्त रूप से होते हैं। आम तौर पर यह एक लंबे सिलेंडर के आकार का होता है जिससे पम्प को कुएं के अंदर नीचे उसके आवरण (केस) पर आसानी से फिट किया जा सके। यद्यपि अधिकतर सबमर्सिबल पम्प कुएं के अंदर स्थापित करने के लिए तैयार किए जाते हैं फिर भी बहुत से झील या नदी के किनारे या

उनके तली में स्थापित किए जा सकते हैं। नदी या झील की जगह पर स्थापित करने का एक अन्य तरीका यह है कि सबमर्सिबल पम्प को पानी के अंदर घाट ढेर के साथ लगा कर उपयोग किया जाए। सबमर्सिबल पम्पको पानी के अंदर रहने के कारण किसी भी अस्तर की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वे केवल पानी को बाहर निकालते हैं, उनको अपने अंदर पानी खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश सबमर्सिबल पंप को विशेष स्लीव में स्थापित होना चाहिए यदि वह कुएं में स्थापित नहीं है। कभी-कभी एक समतल स्लीव की आवश्यकता होती है जब वह कुएं में स्थापित होते हैं। स्लीव पंप के अंदर आरहे पानी पर दबाव डालता है, जिससे पानी पंप की सतह के ऊपर बहता है जो मोटर को ठंडा रखता है। बिना स्लीव के मोटर जल जायेगी। क्योंकि पम्प की तारें पानी में से हो कर जाती हैं इसलिये किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है।

टरबाईन और जेट पंप :-

टरबाईन पंप बुनियादी तौर पर एक सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प होता है जो कि पानी के अंदर रखा जाता है और एक धुरी के माध्यम से, पानी के ऊपर रखे मोटर द्वारा जुड़ा रहता है। प्रायः साफ्ट लंबे पाईप के मध्य भाग से होते हुए नीचे की ओर आती है। इस पाईप से पानी ऊपर खींचा जाता है और ठीक मोटर के नीचे से फिर सीधे बाहर निकलता है। टरबाईन पंप की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसे मुख्यतः बड़े पंप के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के पम्प का उपयोग निगम द्वारा लगाये गए वाटर सिस्टम कुंओं में होता है। जब भी कुंओं के ऊपर एक विशाल मोटर देखा जाता है, तो यह आम तौर पर एक टरबाईन पम्प ही होता है। हम अक्सर बड़े मैदान या गोल्फ कोर्सेस के लिए टरबाईन पम्प का उपयोग करते हैं जहां तालाब से पानी खींचते हैं। टरबाईन पंप एक कंक्रीट से बने बड़े कमरे (गुंबज) में रखा रहता है, जो एक पाईप के साथ झील से जुड़ा होता है। पानी गुरुत्व के कारण कमरे (गुंबज) की ओर बहता है जहां वह पम्प के अंदर जाता है। पंप की मोटर गुंबज के ऊपर एक ढांचे पर लटकी रहती है। जेट पंप, टरबाईन पंप के समान होता है, परंतु यह पानी को नली के प्रवेश द्वार से वापिस उसी तरफ भेजता है जो पानी के उद्वहन में सहायता करता है।

1. भूजल योजना :-

क. खुदे हुए कुएं :- इसमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल निकासी हेतु जल धारण करने वाले स्तर पर भूसतह से खुदे अथवा भूस्थापित किए हुए विभिन्न आकार के साधारण खुले कुएं शामिल हैं। ये आजकल मुख्य तौर पर कुएं -सह बोर होते हैं अथवा चुनाई वाले कुएं, कच्चे कुएं भी होते हैं जिनसे पानी मनुष्य या जानवरों की सहायता से निकाला जाता है। प्रायः सभी ऐसी स्कीमें निजी स्वरूप की होती हैं जो एकल कृषक से संबंधित होती हैं कुएं का व्यास 2 से 6 मीटर

तक और गहराई 8 से 15 मीटर तक होती है। मनुष्य या जानवरों की सहायता से जल निकासी वाले कुओं का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 2 हेक्टर तक हो सकता है अपितु कुएं-सह बोर का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल उसके समान क्षमता तथा बोर की गहराई वाले नलकूप के बराबर हो सकता है।

ख. उथले नलकूप :- इसमें भूमि के अंदर छिद्रित क्षेत्रों से भूजल का उपयोग करने के प्रयोजन से भूमि में निर्मित बोर होल शामिल है। तलछटी संरचनाओं में किसी उथले नलकूप की गहराई 35 मी. से अधिक नहीं होती है। ये नलकूपया तो विवर (केविटी) नलकूपहोते हैं अथवा क्षिद्रित (स्ट्रेनर)नलकूपहोते हैं। इनकी ड्रिलिंग सामान्यतया हैंड बोरिंग सेटों और कभी-कभार आघात रिंगों का प्रयोग करे हुए, आघात विधि द्वारा की जाती है। स्कीम की सफलता और लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि ये कितनी सस्ती हैं। लोहे के फ्रेम के ऊपर नारियल की सुतली से बाँधकर बनाई गई नारियल की संरचनाओं का स्ट्रेनर के रूपमें प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी स्टील पाइपकेसिंग के स्थान पर बांस के फ्रेम के ऊपर बिटुमिनाइज्ड जूट बैगों को लपेट कर गए पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इन्हे बोरवेल कहा जाता है जिसमें निचले हिस्से में पक्का किए बगैर बोर होल स्थायी होता है और ट्यूब को केवल ऊपरी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। सिंचाई मौसम के दौरान उथले ट्यूब-वेलो से सामान्यतया 6 से 8 घंटों के लिए काम लिया जाता है और इनसे प्रतिदिन 100-200 घनमी. जल प्राप्त होता है जो कि मोटे तौर पर किसी समान्यकुएं से लगभग 2 गुना अधिक है। इस स्कीम का सीसीए 10 हे. तक हो सकता है।

ग. मध्यम गहरे नलकूप :- इसमें भूमि के अंदर छिद्रित क्षेत्रों से भूजल का उपयोग करने के प्रयोजन से भूमि में निर्मित बोर होल शामिल है। तलछटी संरचनाओं में किसी मध्यम गहरे नलकूप की गहराई 35 से 70 मी. तक होती है। सिंचाई मौसम के दौरान मध्यम गहरे ट्यूब-वेलो से सामान्यतया 8 से 10 घंटों के लिए काम लिया जाता है और इनसे प्रतिदिन 200-300 घनमी. जल प्राप्त होता है जो कि मोटे तौर पर किसी समान्यकुएं से लगभग 3 गुना अधिक है। इस स्कीम का सीसीए 10 से 15 हे. तक हो सकता है।

घ. गहरे नलकूप:- यह सामान्यतः 70 मी. और उससे अधिक की गहराई में स्थापित होता है और इसकी डिजाइन ऐसी होती है जिससे प्रतिघण्टा 100 से 200 घनमी. जल निकासी होती है। गहरे नलकूप की ड्रिलिंग रोटरी आघात अथवा

रोटरी सह-आघात रिगों के द्वारा की जाती है । ये नलकूप सिंचाई मौसम के दौरान पूरे 24 घंटे काम कर सकते हैं जो कि विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर है। उनकी वार्षिक क्षमता किसी औसत उथले नलकूप से मोटे तौर पर 15 गुना अधिक है और जिनका निर्माण सामान्य रूप से सार्वजनिक स्कीम के रूप में किया जाता है जो सरकारी विभागों अथवा निगमों के स्वामित्व में होते हैं । इन स्कीम का सीसीए लगभग 50 हे. तक हो सकता है।

2. सतही जल स्कीम:

क. सतही प्रवाह सिंचाई स्कीम:

इन स्कीमों के द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का या तो इसे भंडारित करके अथवा झरनों, नाले अथवा नदी से इसे डाइवर्ट करके प्रयोग किया जाता है। कभी कभार किसी झरने अथवा नदी के प्रवाहित जल का इस्तेमाल करने के लिए स्थायी डाइवर्जन भी बनाये जाते हैं। जो वर्षा मौसम के दौरान सामान्यतः बह जाते हैं। छोटे भंडारण टैंकों को तालाब अथवा बुंदी कहा जाता है जो अधिकांशतः समुदाय के स्वामित्व वाले होते हैं। इस प्रकार की स्कीमों के कमान क्षेत्र 20 हे. अथवा उससे कम होते हैं। बड़े भंडारण टैंक जिनका कमान 20 से 2000 हे. तक होता है, का निर्माण सामान्यतः सरकारी विभागों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है । ये सतही लघु सिंचाई कार्यों के सबसे बड़े मद हैं।

(i) भंडारण स्कीमों: (टैंक और अन्य भंडारण)

भंडारण स्कीमों में वे टैंक और जलाशय शामिल हैं जिनमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए झरनों और नदियों के जल एकत्र किए जाते हैं। कुओं के बाद लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत टैंकों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडू राज्यों में लघु स्रोतों से कुल सिंचाई का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपलब्ध कराते हैं। विषम स्थलाकृति और पथरीली अधस्तर, टैंक सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, कई क्षेत्रों में टैंकों का आगे निर्माण की संभावना विद्यमान है। काफी समय तक मरम्मत की उपेक्षा होने के कारण दक्षिणी राज्यों में विद्यमान टैंकों में से कई उपयोग में नहीं हैं। खोई हुई सिंचाई क्षमता पुनः प्राप्त करने के लिए इन टैंकों के नवीकरण को लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है।

इन स्कीमों की अनिवार्य विशेषताएँ हैं:- (i) कोई बांध अथवा कोई बंध जो सामान्यतः मिट्टी का होता है किन्तु कभी-कभार आंशित अथवा पूर्णतः चिनाई का होता है, (ii) समीपवर्ती स्रोतों से जल डाइवर्ट करने के लिए एनिकट और फीडर चैनल, (iii)

अधिशेष बाढ़ के पानी को निकालने के लिए एक व्यर्थ वीयर (कोई फाटक), (iv) सिंचाई हेतु पानी छोड़ने के लिए बनाये गए जलद्वार, (v) संवहन एवं वितरण प्रणाली।

भण्डारण के आकार का निर्धारण मानसून वर्षा के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा चलाए जाने के द्वारा निर्धारित किया जाता है और तथ्य यह है कि क्या बारिश और फसल पद्धति टैंक को एक बार से अधिक भरने की अनुमति देगी।

(ii) डाइवर्जन स्कीमें:

इन स्कीमों का लक्ष्य किसी भण्डारण को सृजित किए बगैर झरने की जल आपूर्ति का डाइवर्जनकरते हुए गुरुत्व प्रवाह सिंचाई मुहैया करना है। भण्डारण स्कीमों की तुलना में ये मितव्ययी हैं किन्तु उनकी व्यवहार्यता वास्तविक सिंचाई जरूरतों के समय झरने में विद्यमान प्रवाह पर निर्भर है। ऐसी स्कीमों में (i) जल को ऊपर उठाने और डाइवर्ट करने के लिए झरने के ऊपर निर्मित अवरोध (वीयर) अथवा बंध; जिस वीयर को दक्षिण में ऐनीकट, महाराष्ट्र और गुजरात में बंधारा और असम क्षेत्र में बंध के नाम से जाना जाता है, और (ii) एक कृत्रिम चैनल, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में कुहल, छोटा नागपुर और बिहार में पाइन और असम क्षेत्र में डोंग कहा जाता है, अनिवार्य रूप से शामिल है।

छोटी स्कीमों, जिनका पहाड़ी भूभागों और पहाड़ी तलहटियों में काफी महत्व है, के मामले में झरनों के ऊपर अस्थाई बंधों का निर्माण करते हुए जल को सामान्य तौर पर डाइवर्ट किया जाता है। कम पैमाने पर निस्सरण होने के कारण प्रवाह के नियंत्रण और विनियमन के लिए चैनल के शीर्ष पर बंध को कोई गेटेड संरचना प्रदान नहीं की जाती। अतः निर्माण कार्य सरल और सस्ता है और इसे काफी हद तक स्वयं लोगों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। तथापि, ये निर्माण कार्य अस्थाई होने के कारण, इनका लगातार नवीकरण आवश्यक है। बंधों के प्रत्येक बड़ी बाढ़ से बह जाने की संभावना बनी रहती है। चैनलों में गाद भी जमा हो जाती है और लगातार निघर्षण होता रहता है। यह आवश्यक है कि जब कभी ऐसी स्कीमों का उद्देश्य उच्च निस्सरण अर्थात् 5 से 10 क्यूसेक डाइवर्ट करना अथवा बाढ़ निस्सरण की उच्च सघनता वाले झरनों से संबंधित कार्य हाथ में लेना होता है तब उपयुक्त किस्म के गेटों से सुसज्जित समुचित विनियमन संरचनाएं प्रदान की जाती हैं। ऑफ टेकिंग चैनलों में सिल्ट (गाद) के प्रवाह को विनियमित करने के लिए वीयर के स्कौटिंग स्लूइस प्रदान की जाती है। चुनाई वीयर का निर्माण तुलनात्मक दृष्टि से सरल और सस्ता पड़ता है जबकि स्ट्रीम बेड के नीचे पथरीली बुनियाद उपलब्ध होती है। पारगम्य और अपरदन वाली बुनियाद

पर वीयर की डिजाइन काफी जटिल होती है और इस संबंध में विशेष अभियांत्रिकी ज्ञान की आवश्यकता है।

डाइवर्जन स्कीमों की सिंचाई क्षमता, सिंचाई की आवश्यकता के समय धारा में उपलब्ध वास्तविक प्रवाह पर निर्भर करती है। अतः इन स्कीमों की व्यवहार्यता और आर्थिक पहलू तय करने पूर्व ठंडे मौसम और गर्म मौसम के प्रवाह को ध्यानपूर्वक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। यह विशेषकर उन गैर- हिमपोषित प्लैशी धाराओं के मामले में महत्वपूर्ण है जिनमें बरसात के मौसम में अचानक जल स्तर बाढ़ जाता है जिसके पश्चात उनमें निस्सरण पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है। केवल मानसून मौसम के दौरान जल की आपूर्ति करने वाले खरीफ अथवा मानसून चैनलों के रूप में कुछ डाइवर्जनस्कीमों का भी निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की स्कीमों धान के लिए अतिरिक्त सिंचाई मुहैया कराने और रबी की बुआई के लिए शुरू- शुरू में पटवन करने के लिए उपयोगी हैं।

अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में, कुल्स केनाम सेजानेवालेछोटेसिंचाई चैनल ही सिंचाई केसाधन हैं। इनचैनलों सेझरनोंकेऊपर अस्थाई अथवा पक्के बंध का निर्माण कर झरनोंसे डाइवर्ट करकेजल प्रवाहित होता है। इन चैनलों का निर्माण बड़ी विकट स्थितियों में खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जल का रिसावरोकने तथा स्थिरता के वास्ते अधिकांश खंडों पर इन चैनलों को पक्काकिया जाता है।

(iii) जल संरक्षण-सह-भू-जल पुनर्भरण स्कीमों :

इनके अंतर्गत वे स्कीमों शामिल हैं जो प्रमुखतः निम्नलिखित में से एक अथवाएक से अधिक प्रयोजनों की पूर्ति होती है : (क) पश्च मानसून फसलों कीबुआई के लिए मानसून के दौरान कृषि भूमि को जलमग्न करना, (ख) सिंचाई के बगैर पश्च मानसून फसलों को उगाना और भूजल के पुनर्भरण के लिए अनुप्रवाह पर स्थित इससे निचले खेतों के नमी क्षेत्र का सुधार करना।

इन स्कीमों का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इनसे मृदाका संरक्षण करने में मदद मिलती है। जब इन स्कीमों का निर्माण टैंकों के नीचे में स्थित आवाह क्षेत्र की व्यवस्था हेतु, मुख्य जल क्षेत्र में किया जाता है तब इनसे इन टैंकों में गाद जमा होने की दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण मकसद हल होता है।

खेतकी मेंडों के माध्यम से जल संरक्षण की प्रणाली मध्य भारतीय भूभागों में विशेष तौर पर अपनाई जाती है और यह प्रणाली उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में आम रूप से प्रचलन में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये स्कीमों आम तौर पर बुंधी के नाम से प्रचलित हैं जिनमें हलके ढलान वाली भूमि के

ऊपर रखे गएमिट्टी के मेड़ शामिल हैं । बरसात के मौसम में, प्रति प्रवाह पर जल का भंडारण होता है और भूमि में पानी भर जाता है । यदि भूमि में क्रमिक ढाल होता है तो निचली मेड़ों के होने के बावजूद, अक्सर बड़े क्षेत्रों में पानी भर जाता है । सामान्यतः सीधे तौर पर सिंचाई नहीं होती है और जलमग्नता के कारण अधिकांशतः लाभ होता है । करीब-करीब इन सभी क्षेत्रों में, सामान्यतः मृदा काली है जिसमें नमी बनी रहती है । बरसात के मौसम के दौरान भूमि जलमग्न रहने के पश्चात मृदा में अच्छी रबी फसल उगाने के लिए पर्याप्त नमी बनी रहती है । शेष जल को निकालकर जलमग्न भूमि को खेती के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है । इसी रूप में भूमि के जलमग्न होने का दूसरा फायदा यह है कि पहली बाढ़ के साथ काफी गाद जमा हो जाती है जो खाद का काम करती है । खड़ी ढाल के ऊपर जल के मुक्त प्रवाह को रोक कर भूमि की मृदा भी संरक्षित की जाती है ।

बिहार में आहर जिनमें धान की खेत की सिंचाई के लिए जल जमा किया जाता है, से भी इस प्रकार का काम होता है । धान की खेत की सिंचाई के लिए अक्टूबर में जल को बचाकर रखा जाता है और आहरोंकी तलहटी में जिन खेतों से पानी निकाल दिया जाता है उनमें रबी फसलों की खेती की जाती है । उड़ीसा में सामान्यतः प्रचलित शीर्ष जल टैंकों की भी इसी प्रकार की भूमिका है । इनमें परिश्रवण, और सतही प्रवाह द्वारा बंधों के अनुप्रवाह के वृहत घाटी क्षेत्र में संचयी अपवाह को रोकने और डाइवर्ट करने के उद्देश्य सहित गल्ली के शीर्ष पर ढलान के ऊपर स्थापित बंध शामिल हैं । मानसून मौसम के दौरान बंधों की अधिकतम भंडारण क्षमता में प्राप्त बाढ़ जल को ले जाने के लिए किनारों में सतही चैनल प्रदान किए जाते हैं ।

भूजल के पुनर्भरण के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में प्रमुखतः निर्मित परिश्रवण टैंक प्रचलन में हैं । राजस्थान में चेक बांध अथवा रपट प्रचलन में हैं । उनमें सतही प्रवाह और सपाट धारा का बेड स्लोप बनाते हुए कुछ हद तक उप सतही प्रवाह को भी कम करने के प्रयोजन के लिए धाराओं के ऊपर बने बंध शामिल हैं । इससे भूजल आपूर्ति की निरंतर वृद्धि से उप मृदा में जल का बढ़ा हुआ परिश्रवण होता है।

बड़े आवाहों को रोकने वाले बड़े मेड़ों के मामले में यह आवश्यक है कि बाढ़ के पानी को जाने देने के लिए एक अथवा दोनों किनारों (फ्लैकों) अथवा कुछ अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की जाती है । यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है तो मेड़ों में दरार आ जाने की संभावना हो जाती है ।

ख: सतही लिफ्ट सिंचाई स्कीम :

उन क्षेत्रों में जहां की स्थलाकृति नदियों और झरनों से सीधे प्रवाह वाली सिंचाई की अनुमति नहीं देती है, वहां पर जल सिंचाई चैनलों में लिफ्ट किया जाना होता है। ये कार्य डाइवर्जन स्कीमों के समान ही हैं किंतु, इसके अतिरिक्त पम्प संस्थापित किए जाते हैं और पम्प हाउसों का निर्माण कराया जाता है । ये स्कीमें महंगी होने के कारण केवल उन्हीं क्षेत्रों में व्यवहार्य हैं जहां पर (क) ग्रेविटी बहाव सिंचाई संभव नहीं है (ख) वहां पर सिंचाई की अधिक मांग है और कृषक उत्साही हैं (ग) वर्ष में लगभग 200 दिनों के लिए झरनों में जल उपलब्ध होता है और (घ) सस्ती बिजली उपलब्ध है ।

जल निकासी के लिए डीजल से चलने वाले पंप सेटों के संस्थापन से इन स्कीमों की प्रचालन और रखरखाव लागत अत्यधिक पड़ती है । तथापि, एकल कृषक द्वारा निस्सरण की कम मात्रा में निकासी के लिए छोटे डीजल इंजन पंप सेट व्यवहार्य हैं क्योंकि वे जल स्रोत अथवा स्रोतों के विभिन्न बिंदुओं पर संस्थापन के लिए अधिक लचीलापन और गतिशीलता प्रदान करते हैं । कुछ क्षेत्रों में जल निकालने के लिए सौर पंपों का भी इस्तेमाल किया जाता है । इन स्कीमों का सीसीए लगभग 20 हे. तक हो सकता है।

अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश

ग्राम अनुसूची:

यह अनुसूची हर जिले में प्रत्येक ग्राम के लिए भरी जाएगी जिसमें गाँव के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ भरी जानी हैं। सभी मद स्वव्याख्यात्मक हैं।

I. पहचान विवरण:

राज्य / जिला / ब्लॉक (तहसील) गाँव का नाम संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा जैसा कि राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन किया गया है और एनआईसी को भेजा गया है। राज्य / संघ शासित प्रदेश के लिए अद्यतन निर्देशिका में दिए गए नाम और कोड का उपयोग किया जाना चाहिए।

गणना की तिथि: गणना की तिथि को दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YY) के प्रारूप में दर्ज करना है।

II. विशिष्ट जानकारी:

मद सं 1: क्या ग्राम जनजातीय/ गैर जनजातीय है? गाँव को जनजातीय आबादी के अनुपात के आधार पर राज्य में प्रचलित परिभाषा के अनुसार जनजातीय गाँव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो गाँव को जनजातीय गाँव के लिए कोड 1 लिखा जाएगा अन्यथा कोड 2 लिखा जाएगा।

मद सं 2: (क) क्या ग्राम के अंदर वृहद/ मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना उपलब्ध है: यदि कोई मध्यम या वृहद सिंचाई योजना गाँव के क्षेत्र में विद्यमान है तो कोड 1 होगा अन्यथा कोड 2 लिखा जाएगा।

(ख) यदि हाँ तो उस बड़ी/ मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम:: यदि मद 2(क) में कोड 1 लिखा है तो मध्यम या वृहद सिंचाई योजना(ओं) के नामों का उल्लेख किया जाएगा ।

मद सं 3: भौगोलिक क्षेत्रफल: गाँव के रिकॉर्ड के अनुसार, गाँव का कुल क्षेत्रफल (इसमें आबादी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है) पूर्ण हेक्टेयर में लिखा जाएगा।

मद सं 4: कृषि योग्य क्षेत्रफल: गाँव का वह क्षेत्र जो किसी भी मौसम में खेती के लिए उपयुक्त है, कृषि योग्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और यह क्षेत्र क्रमांक 3 में दाखिल किए गए गाँव के कुल क्षेत्र से सामान्यतः कम अथवा बराबर होगा। यदि कृषि क्षेत्र काफी कम अंकित पाया जाता है तो इस संदर्भ में टिप्पणी दी जानी चाहिए।

मद सं 5: शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल: किसी फसल वर्ष में उसी वर्ष के किसी सत्र में गाँव में कुल क्षेत्र जिसमें खेती और बुआई की गई हो, कुल बुआई के क्षेत्र के रूप में लिया जाएगा और फिर यदि इस क्षेत्र में अलग-अलग सत्र में फसल बुआई की जाती है तो इस क्षेत्र को दुबारा नहीं गिना जाएगा। किसी भी बुआई क्षेत्र को केवल एक बार ही गिना जाएगा। कुल बुआई क्षेत्र गाँव के कृषि योग्य क्षेत्र से सामान्यतः कम होना चाहिए।

मद सं 6: सकल (कुल) सिंचित क्षेत्रफल (मौसम के अनुसार) (सभी स्रोतों द्वारा): विभिन्न फसल सत्रों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र, अलग-अलग सत्र के लिए गिना जाएगा। किसी विशेष सीजन में फसल सिंचाई सहित बुआई का क्षेत्र सत्र के लिए गिना जाएगा और इस कार्यविधि को अलग-अलग सीजन में गाँव के किसी भी क्षेत्र में फसल के लिए की गई बोआई के लिए दोहराया जाएगा। किसी एक सीजन के दौरान का सकल सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये हुए क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए।

मद सं 7: शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (सभी स्रोतों द्वारा): संदर्भ वर्ष के किसी भी मौसम में या किसी फसल को उगाने हेतु यदि सिंचाई की गई हो तो ऐसा क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र माना जाएगा। यदि एक ही खेत में विभिन्न फसलों के लिए एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो तो ऐसे क्षेत्र को एक ही बार गिना जाएगा।

मद सं 8: औसत भूजल स्तर (मीटर में): गाँव में भूजल का स्तर (मीटर में), संदर्भ वर्ष 2017-18 मानसून के आने से पहले और बाद का दोनों के लिए अलग-अलग लिया जाएगा। गाँव में कृषि वर्ष 2017-18 में मानसून आने से पहले और मानसून के बाद के औसत भूजल स्तर को रिकॉर्ड किया जाना है।

मद सं 9: क्या जल उपयोग संगठन गाँव में मौजूद है: यदि गाँव में किसानों की किसी प्रकार की कोई संस्था है जो मध्यम/ वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए अथवा सार्वजनिक लघु सिंचाई योजनाओं के लिए स्थापित है और जो कि पानी के उपयोग संबंधी मामलों में निर्णय लेती हो, तो इस मद में 1 दर्ज किया जाएगा। यदि नहीं है तो कोड 2 दर्ज करना है। इसकी सूचना लेने के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर भी सूचना नहीं मिलती है तो कोड 3 दिया जा सकता है।

मद सं 10: गाँव में भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के अनुसार जल निकायों की संख्या का संक्षिप्त विवरण: इस जानकारी को गाँव की सभी जल निकायों की अनुसूचियों को भरने के बाद दर्ज किया जाना है। विभिन्न प्रकार के जल निकायों की संख्या को जल निकाय के प्रकार के आधार पर सारणीबद्ध किया जाना है। डाटा प्रोसेसिंग चरण में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मद 10 के कॉलम 7 का योग अर्थात् कुल जल निकायों की संख्या, भरी गई जल निकाय अनुसूचियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

मद सं 11: गाँव में भरी गई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या का संक्षिप्त विवरण: गाँव में स्थित सभी लघु सिंचाई योजनाओं की विस्तृत अनुसूचियाँ भरने के बाद इस मद में प्रविष्टि दर्ज करना है। डाटा प्रोसेसिंग चरण में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए भूजल, सतही एवं कुल अनुसूचियों की संख्या अलग-अलग दर्ज करनी है।

प्रमाणक/ अन्वेषक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए और हस्ताक्षर तारीख के साथ होना चाहिए।

पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और हस्ताक्षर तिथि के साथ होना चाहिए।

भूजल अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश

गाँव की सभी भूजल सिंचाई योजनाओं यथा खोदे गये कुएं, उथले नलकूप, मध्यम नलकूप एवं गहरे नलकूप की गणना की जाएगी जो कि पूर्ण हो चुकी हैं और मुख्य रूप से सिंचाई के उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसी सभी भूजल योजनाएँ, जो कि सिंचाई के लिए उपयोग कि जाती हों या जो केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए हैं, उनके लिए भूजल अनुसूची भरी जायेगी। इस गणना में ऐसी स्कीमें शामिल नहीं की जाएँगी जो कि 2013-14 के दौरान या उससे पहले से स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी पात्र स्कीम गणना से छूटे नहीं। यदि किसी स्कीम का कमान क्षेत्र एक से अधिक गाँव में फैला है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल एक ही स्कीम गिना जाएगा वो भी उस गाँव के लिए जहाँ कि वह स्कीम स्थित है। प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग प्रपत्र भरे जायें।

वर्ष 2017-18 के दौरान एवं इससे पूर्व स्थापित योजनाओं के लिए ही प्रपत्र भरे जायेंगे।

I. पहचान विवरण:

राज्य / जिला / ब्लॉक (तहसील) गाँव का नाम संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा जैसा कि राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन किया गया है और एनआईसी को भेजा गया है। राज्य / संघ शासित प्रदेश के लिए अद्यतन निर्देशिका में दिए गए नाम और कोड का उपयोग किया जाना चाहिए।

गणना की तिथि: गणना की तिथि को दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YY) के प्रारूप में दर्ज करना है।

II. विशिष्ट जानकारी:

मद क्रमांक -1: योजना की क्रम संख्या:-

गाँव की समस्त भूजल लघु सिंचाई योजनाओं को क्रमवार नंबर देकर सूचीबद्ध करना है। यह नंबर उस गाँव में उस योजना के पहचान नंबर के तौर पर काम आएगा। लघु सिंचाई योजनाओं को नंबर देते समय यह ध्यान रखा जाए कि आँकड़े संग्रह का कार्य उस गाँव के उत्तर-पश्चिम कोने से प्रारंभ करना है और सर्पाकर शैली में चलते हुए 0001 नंबर से शुरू करते हुए भूजल योजनाओं तथा सतही जल योजनाओं को सीरियल नंबर देना है। हर गाँव में भूजल और सतही जल योजनाएं दोनों के लिए अलग-अलग सीरियल नंबर 0001 से प्रारंभ करना है।

मद क्रमांक-2: योजना का प्रकार:-

योजना के प्रकार, यानि खुदा हुआ कुआं है या नलकूप है, को इस मद में दर्ज किया जाना है। अगर खुदा हुआ कुआं है तो कोड 1 दिया जाएगा और ट्यूबवेल के लिए कोड 2 अंकित किया जाएगा। अगर किसी एक खुदे हुए कुएं में एक से अधिक बोरवेल हैं और सभी बोरवेल से सिंचित क्षेत्र एक ही है तो इसको एक ही योजना के अंतर्गत माना जाएगा। यदि अलग-अलग बोरिंग के लिए सिंचाई के क्षेत्र अलग-अलग हैं तब प्रत्येक बोरिंग को एक अलग योजना के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग अनुसूची भरी जाएगी।

मद क्रमांक-3.1: यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है तो कुएं का प्रकार:- यदि खुदे हुए कुएं में बोरिंग की गई है, तो इसे 'कुआँ-कम-बोरवेल' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और मद 3.1 में कोड 1 दिया जाना चाहिए। अगर कुएं में बोरिंग नहीं की गई है तो इसकी दीवार या निर्माण सामग्री के आधार पर पक्के या कच्चे के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। किसी भी 'कुआँ-कम-बोरवेल' को पक्के या कच्चे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना है। पक्के कुएं के लिए कोड 2 है और कच्चे कुएं के लिए कोड 3 है। किसी भी अन्य प्रकार के कुएं को कोड 9 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मद क्रमांक 3.2: यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है तो नलकूप का प्रकार:- उथले नलकूप के लिए कोड-1, मध्यम नलकूप के लिए कोड-2 और गहरे नलकूप के लिए कोड-3 है। 35 मीटर तक की गहराई वाले बोर को उथले नलकूप के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि 35-70 मीटर तक की गहराई वाले बोर को मध्यम नलकूप के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। 70 मीटर से अधिक की गहराई वाले बोर को गहरे नलकूप में शामिल किया जाएगा।

मद क्रमांक -4: योजना का स्वामी:-

योजना के स्वामित्व का कोड देना है। व्यक्तिगत किसान होने के मामले में स्वामी का नाम भी दर्ज किया जाना है। कोड निम्नानुसार हैं:

सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व -2, पंचायत स्वामित्व -3, किसानों के समूह का स्वामित्व -4, एकल किसान का स्वामित्व -5, अन्य -9।

योजना का मालिक किसान/ सहकारी समिति/ सरकारी विभाग/ संगठन/ किसानों का समूह हो सकता है। इस मद में स्वामित्व का प्रकार कोड के रूप में दिखाया जाना है। योजना के स्वामी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, पड़ोसी से या उस व्यक्ति से पूछताछ करके प्रविष्टि दर्ज करनी है जो उस योजना को संचालित करता हो।

मद क्रमांक-5(क): खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है:-

योजना जिस जगह पर स्थापित है उसका खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. दिया जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता होने पर भौतिक सत्यापन किया जा सके।

मद क्रमांक-5(ख): स्थिति विवरण:-

योजना की पहचान हेतु स्थान का नाम, स्थायी सीमाचिन्ह, वार्ड नंबर, पुरवा या छोटा गांव का नाम, सड़क का नाम इत्यादि, जो कि योजना के चिन्हांकन (स्थापन जगह) हेतु सहायता कर सकें, का उल्लेख करना है। गाँव में लघु सिंचाई योजनाओं को नंबर देते समय इस पर पेंट से नंबर अंकित करना है जो आसानी से दिखे। इसके अतिरिक्त योजना के चिन्हांकन के लिए स्थायी चिन्ह जैसे कि नजदीक का कोई पेड़/ इमारत/मंदिर/कोई छोटी मीनार या किसी पहाड़ी/ नाला/ नहर/ सड़क की उपस्थिति दिशा के साथ दी जा सकती है।

मद क्रमांक-6(क): स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (0.000 हेक्टेयर में):-

इस मद को केवल एकल किसान के लिए भरा जायेगा। किसान के नाम में और उसके स्वामित्व की कुल भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में (दशमलव के तीन अंक में) अंकित किया जाए। यदि अनुसूची भरते समय क्षेत्रफल स्थानीय इकाई में पता चलता है तो इसे पेंसिल से नोट कार लिया जाए और बाद में कैलकुलेटर द्वारा स्थानीय इकाई से हेक्टेयर में परिवर्तित करने के पश्चात ही अनुसूची में अंतिम रूप से दर्ज करना चाहिए।

मद क्रमांक-6(ख): योजना के स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए):-

यह मद केवल एकल किसान का स्वामित्व होने पर ही भरा जायेगा और किसान के सामाजिक वर्ग का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दिया जाए ।

क्र.सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति	1
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4.	अन्य	9

सामाजिक वर्ग केंद्र सरकार के अधिसूचना अनुरूप ही भरा जाना है। कुछ राज्य सरकारों में अन्य पिछड़े वर्ग में रोजगार के लिए कुछ जातियों को विशेष पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग में नहीं वर्गीकृत होते हैं। यदि कोई सामाजिक वर्ग राष्ट्रीय स्तर के चयन हेतु एससी/एसटी/ओबीसी में शामिल हो तभी इस मद में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ग) स्वामी पुरुष,स्त्री या किन्नर है? (केवल एकल किसान के लिए:

योजना का स्वामी पुरुष,स्त्री या किन्नर है इसका समुचित कोड (पुरुष-1, स्त्री -2, किन्नर-3) इस मद में दिया जाना है।

मद क्रमांक -7: योजना की स्थापना का वर्ष:-

योजना की स्थापना के वर्ष का उचित कोड इस मद में भरा जायेगा। जिस योजना की स्थापना 2013-14 के पहले या 2013-14 के दौरान हुई हो, उसे कोड-1 दिया जाएगा। कोड हैं:

क्र. सं.	विवरण	कोड	क्र. सं.	विवरण	कोड
1.	2013-14 के पहले या दौरान	1	4.	2014-15 के दौरान	2
2.	2015-16 के दौरान	3	5.	2016-17 के दौरान	4
3.	2017-18 के दौरान	5			

मद क्रमांक-8: योजना का विवरण:-

कुएं/नलकूप/कुआँ-कम-बोरवेल की गहराई, व्यास, बोर की गहराई (कुआँ-कम-बोरवेल के लिए), समीपतम कुएं/नलकूप से दूरी मीटर में दी जाएगी। सिर्फ नलकूप के व्यास को मिमी में अंकित किया जाएगा।

मद क्रमांक-9: (क) योजना की निर्माण लागत (रू में):-

योजना की स्थापना के समय योजना के निर्माण की लागत (मशीनरी की लागत को छोड़कर) इस मद में सूचित की जाएगी। योजना के निर्माण की लागत में कुएं/ नलकूप के निर्माण, खुदाई में लगी लागत, जल वितरण प्रणाली तथा इसमें लगे जोड़ की चिनाई में लगी लागत, कुएं/ नलकूप के लिए बनाई गई छोटी झोपड़ी या कमरे के निर्माण तथा मजदूरी पर लगी लागत को मिलाकर अंकित किया जाएगा। बिजली के तारों को योजना तक पहुँचाने के लिए लगे बिजली के खंभों को स्थापित करने में लगी लागत भी शामिल होगी।

मद क्रमांक-9 (ख): मशीनरी का मूल्य (रूपयों में) :-

योजना में लगे मोटर/ पंप/ सौर ऊर्जा पैनल/ जल वितरण यंत्र जैसे पाइप, ड्रिप या फव्वारे पर हुआ व्यय इस मद में शामिल किया जाएगा। इन सामानों को विभिन्न वर्षों में खरीदने पर हुआ व्यय भी इसी मद में शामिल किया जाएगा।

मद क्रमांक-9(ग): वर्ष 2017-18 में मरम्मत पर व्यय: संदर्भ वर्ष 2017-18 के दौरान योजना में की गई मरम्मत और रख-रखाव के खर्च को इस मद में नोट किया जाना है। यदि मशीन बदली गई हो या बढ़ाई गई हो तो उसे इस मद में शामिल नहीं करना है।

मद क्रमांक-10(क): वित्तपोषण के प्रमुख दो स्रोत (केवल एकल किसान के लिए):

इस मद का उद्देश्य योजना के निर्माण के मुख्य वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना है जो कि कृषकों द्वारा स्वयं की बचत, बैंक ऋण या शासकीय अनुदान हो सकता है। अधिकतम दो प्रमुख वित्तीय स्रोतों के उपयुक्त कोड यहां दर्ज किये जाने हैं। यदि योजना के निर्माण के लिए धनराशि दो से अधिक स्रोतों से प्राप्त की है, ऐसी स्थिति में सबसे अधिक राशि जिन दो स्रोतों से ली है, उनके कोड क्रमांक अंकित किये जाने हैं। कोड हैं:

बैंक ऋण -1, सरकारी वित्तपोषण -2, निजी बचत -3, साहूकार -4, अन्य -9

इस मद में योजना के निर्माण और मशीनरी के क्रय के लिए लगे धन का स्रोत पर विचार किया जाना है। अगर पैसा न तो सरकार से लिया है न ही बैंक/ साहूकार से लिया है, तो यह स्वयं की बचत से या मित्रों और रिश्तेदारों से हो सकता है। अगर दोस्तों/ रिश्तेदारों से लिए गए ऋण पर ब्याज देना है, तो इसे साहूकार से लिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों से ऋण को सरकार के रूप में लिया जाना है और सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंकों/ भूमि विकास बैंकों से लिए ऋण को बैंक ऋण में शामिल किया जाना है।

मद क्रमांक-10(ख): क्या कोई सरकारी/ सरकारी उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ? (सभी योजनाओं के लिये):-

यदि किसी योजना की स्थापना के लिए खुदाई या मशीन की खरीद/ वितरण प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो तो अनुदान की राशि पूर्ण रु. में मद 10(ख)(i) योजना के निर्माण/ बोरिंग/ खुदाई हेतु और 10(ख)(ii) मशीनरी के मूल्य/ जल वितरण उपकरण हेतु अलग अलग अंकित की जाएगी। यदि कोई अनुदान/ सहयोग कुएं या नल कूप के निर्माण के लिए या मशीनरी के लिए दिया जाता है तो उसे इन मदों में दर्ज किया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत कुएं/ नलकूप की स्थापना के लिए, जल वितरण प्रणाली के लिए, भूमिगत स्थापना के लिए प्रदान की गई अनुदान राशि का मूल्यांकन कर के संबंधित मद में शामिल किया जाएगा।

मद क्रमांक-11(क): योजना की वर्तमान स्थिति :-

इस मद का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वर्तमान में योजना उपयोग में आ रही है या स्थाई अथवा अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है जिसके लिए निम्नानुसार कोड अंकित किया जाना है।

क्र.सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	योजना उपयोग में आ रही है	1

2.	अस्थायी (Temporary) रूप से उपयोग में नहीं ।	2
3.	स्थायी रूप से उपयोग में नहीं ।	3

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, छठी लघु सिंचाई गणना का संदर्भ वर्ष 2017-18 है। जो कुएं/ नलकूप संदर्भ वर्ष 2017-18 से दो वर्ष पहले से अर्थात् 2015-16 और 2016-2017 से अस्थायी कारणों से उपयोग में नहीं आ रहे हैं किंतु अनुपयोगी भी घोषित नहीं हुए हैं उन्हें “अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत किया जाएगा अन्यथा उसको “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत किया जाएगा।

मद क्रमांक-11(ख): यदि मद 11(क) में कोड 2 या 3 है, तो योजना कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है?

इस मद में उपयोग में नहीं होने के समय की अवधि वर्षों में अंकित की जाएगी। उपयोग में नहीं होने के वर्षों की संख्या को इस मद को नोट किया जाएगा। यह 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' या 'स्थायी रूप से उपयोग' में नहीं होने वाली दोनों तरह की योजनाओं के लिए दिया जाएगा। “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही योजनाओं” में 2013-2014 या उससे पहले से स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही योजनाएं शामिल नहीं होंगी क्योंकि ये छठी लघु सिंचाई गणना के कवरेज से बाहर हैं।

मद क्रमांक-12: योजना के अस्थायी रूप से “उपयोग में नहीं” होने के कारण (मद क्रमांक 11 (क) में कोड 2) :-

योजना के “अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं” होने के कारण का कोड दिया जाना है जो निम्नानुसार है:-

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 | यांत्रिक खराबी- 2 |
| पानी का कम रिसाव- 3 | धन की अनुपलब्धता- 4 |
| रख रखाव की कमी- 5 | कोई अन्य कारण- 9 |

मद क्रमांक-13: योजना के स्थायी रूप से “उपयोग में नहीं” होने के कारण (मद क्रमांक -11 (क) में कोड 3):-

योजना के “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं” होने के कारण के लिए निम्नानुसार कोड देना है:-

- खारेपन के कारण- 1, सूख जाना- 2, मरम्मत लायक नहीं- 3
समुद्री जल प्रवेश के कारण- 4, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 5,
ब्रह्म/मध्यम जल परियोजना की उपलब्धता के कारण-6, अन्य कारणों से- 9

मद क्रमांक-14: जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि:-

वर्तमान में कृषकों द्वारा परंपरागत विधियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन अपनाये जा रहे हैं। परंपरागत विधि जैसे भू-सतह पर पानी की नाली और भूमिगत पानी की नालियों के अतिरिक्त फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई और टपकन (ड्रिप) सिंचाई विधि ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। कृषकों द्वारा उपयोग में लाए गए पानी के वितरण की विधि/ यंत्र का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए।

खुली नाली (पक्की) - 1, खुली नाली (कच्ची)- 2, भूमि गत पाइप- 3,
सतही पाइप - 4, टपकन सिंचाई- 5, फव्वारा सिंचाई- 6, अन्य- 9

मद क्रमांक-15: उन्नयन संयंत्रों (लिफ्टिंग डिवाइस) का प्रकार:-

योजना से पानी निकालने हेतु उपयोग में लाये गए साधनों का उचित कोड निम्नानुसार दिया जाए। कोड है:

सबमर्सिबल पंप-1, अपकेन्द्री (centrifugal) पंप -2, टर्बाइन/ जेट पंप -3, मानविक/ पशु चालित- 4, अन्य - 9

मद क्रमांक-16: ऊर्जा का स्रोत:-

पानी निकालने के सिंचाई साधनों को चलाने के लिए उपयोग किये जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों में से उपयुक्त कोड दर्शाया जाए। कोड हैं:

विद्युत-1, डीजल-2, वायु जनित्र- 3,, सौर -4, मानविक/ पशु चालित- 5, अन्य - 9

मद क्रमांक-17: सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल अश्व शक्ति: (मानविक/ पशु चालित-के लिए खाली छोड़ दें):

पानी निकालने के लिए प्रयुक्त साधन की अश्व शक्ति (HP) को दर्ज किया जाना है। मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चलित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-18: पम्प चालन दिवस (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें):-

किसान द्वारा सूचित किए गए पंप उपयोग के मौसमवार दिवसों की संख्या दी जायेगी। मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चलित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-19: प्रति दिन औसत पम्प चालन घंटे (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें):-

इस मद में किसान द्वारा सूचित किए गए मौसम/फसल-वार प्रति दिवस पंप चालन के औसत घंटों की संख्या दी जाएगी। मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चलित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-20(क): क्या योजना नहर जैसी बृहत/ मध्यम जल परियोजना के अंतर्गत स्थित है:

कुछ लघु सिंचाई योजनाएं बृहत/ मध्यम योजनाओं के कमान में सिंचाई के उपयोग के लिए स्थित हो सकती हैं। ऐसी योजनाओं को भी गणना करना है। उनके उपयोग के आधार पर उपयुक्त कोड इस मद में नोट किया जाना है:

नहीं -1

हाँ - 2

मद क्रमांक-20(ख): यदि योजना कमांड क्षेत्र में है यानि मद 20 (क) में कोड 2 है:

आम तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि बृहत/ मध्यम योजनाओं के कमांड क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं की कम संख्या होनी चाहिए क्योंकि पानी मध्यम या बृहत योजना से सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके बावजूद अगर कमांड क्षेत्र में कोई लघु सिंचाई योजना मौजूद है, तो इसके कारण की सूचना दी जानी है। कोड हैं:

सिंचाई के लिए बृहत/ माध्यम योजना से खेत तक पानी उपलब्ध नहीं है -1,

पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के पर्याप्त नहीं-2

पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के योग्य नहीं-3,

अन्य कारण -9.

कमांड क्षेत्र का नाम मद 20(ख)(i) में दर्ज किया जाना है और कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आ रही लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कारण का कोड मद 20(ख)(ii) में सूचित किया जाना है।

मद 20(ग): क्या यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? (हाँ -1, नहीं 2):

कई ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं और केवल भूजल के पुनर्भरण (Recharge of Ground water) के लिए प्रयुक्त होती हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कुएं/ नलकूप का निर्माण केवल भूजल पुनर्भरण के लिए किया गया है न कि सिंचाई के लिए। ऐसे मामलों में कोड-1 दिया जाना है और मद 21 से 31 को खाली छोड़ दिया जाना है। इस तरह के मामले बहुत कम हो सकते हैं। अधिकतर योजनाएं सिंचाई के उपयोग के लिए ही होंगी यानि मद 20(ग) में कोड 2 होगा।

मद क्रमांक-21: कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA):

इस कॉलम में योजना द्वारा सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में दर्शाया जाना चाहिए। यह आमतौर पर स्थापना के समय योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र का माप होता है। यदि यह योजना बहुत पुरानी है और भूमि उपयोग आदि में परिवर्तन होने के कारण पुराना कृषि योग्य कमांड क्षेत्र ज्ञात करना संभव नहीं है, तब इस योजना की वर्तमान अधिकतम कृषि योग्य कमान क्षेत्र(CCA) का उल्लेख किया जाएगा। यदि सीसीए दूसरे गांव तक फैला है, तो भी पूरे सीसीए को इस गांव में स्थित इस योजना के लिए ही दर्ज किया जाना है।

मद क्रमांक-22 से 26: मौसम-वार सृजित सिंचाई क्षमता (आई पी सी):-

इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत सिंचाई साधनों से कुल सृजित सिंचाई क्षमता जात करना है। इसमें खरीफ, रबी, बारहमासी और अन्य मौसम के लिए प्रस्तावित सिंचाई का क्षेत्रफल लिया जाएगा। मद 26 में, मद 22 से मद 25 तक का योग दर्शाया जायेगा। संबंधित योजना के द्वारा मौसमवार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल मद क्रमांक 22,23 और 25 में दर्शाया जायेगा। मद 24 में बारहमासी फसलों की सूचना दर्ज की जाएगी। यदि योजना को मशीनरी, जल वितरण साधनों में बड़े बदलाव कर उन्नत किया गया है तो संशोधित क्षमता को दिखाना है। मद 26 में कुल सृजित सिंचाई क्षमता को दिखाना है। सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा।

मद क्रमांक 27 से 31: वर्ष 2017-18 में मौसम-वार वास्तविक सिंचाई क्षमता का उपयोग (आई पी यू):-

इस मद में वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी व अन्य मौसम में वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्रफल अंकित किया जाएगा। मद क्रमांक 31 में कुल उपयोग की गई सिंचाई क्षमता दर्ज की जाएगी। मद क्रमांक 31 में मद क्रमांक 27 से 30 तक का योग दिया जायेगा। मद क्रमांक 27 से 31 के प्रत्येक मद में दर्ज क्षेत्रफल मद क्रमांक 22 से 26 के प्रत्येक मद में दर्ज क्षेत्रफल से या तो कम होगा या बराबर होगा। सिंचाई क्षमता के उपयोग का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा।

ऐसी स्कीम भी हो सकती है जो कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है और जिसका उपयोग पूरक सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे कि कुआं/नलकूप, जो कि बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्णय लघु सिंचाई योजना के कवरेज में आने वाले खेत तक बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के पानी की वास्तविक उपलब्धता से लिया जाएगा। इस तरह की पूरक सिंचाई की मात्रा का आंकलन करने के लिए भी मद 27 से 31 में आँकड़े दर्ज किया जाना है।

ऐसी स्कीम जो कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है के पूरक सिंचाई के उपयोग को दर्ज करने के लिए सकल सिंचित क्षेत्रफल को उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जितनी बार लघु सिंचाई योजना का उपयोग उस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई क्षेत्र लघु सिंचाई योजना द्वारा दो बार सींचा गया हो और बृहद या मध्यम योजना द्वारा तीन बार सींचा गया हो तब लघु सिंचाई योजना द्वारा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता उस क्षेत्र का 2/5 गुना होगा।

मद क्रमांक-32(क): क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल प्रयोग में आ रही योजनाओं के लिए):-

उपयोग में आ रही योजनाओं में यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इसका पूरा उपयोग हो रहा है? यदि हां तो कोड-1 दिया जाना है अन्यथा कोड-2 दिया जाना है। अगर योजना में आईपीयू आईपीसी से काफी कम है तो योजना का उपयोग कम माना जा सकता है।

यदि कोई लघु सिंचाई योजना बृहद या मध्यम सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में है और आईपीयू आईपीसी की तुलना में कम है, तब भी कम उपयोग नहीं माना जा सकता क्योंकि यह योजना केवल आवश्यक पूरक सिंचाई प्रदान कर रही है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कमान क्षेत्र के बाहर की योजनाओं के लिए, योजनाओं को कम उपयोग में तभी माना जाएगा, यदि मद 31 में आईपीयू मद 26 में आईपीसी से काफी कम है और योजना कमान क्षेत्र के बाहर है यानी मद 20 (ए) में कोड 1 है। कमान क्षेत्र में स्थित योजना के लिए आईपीयू आईपीसी का अनुपात, योजना के कम उपयोग के निर्धारण के लिए वास्तविक निर्णायक कारक नहीं होगा। अन्वेषक को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति देख कर फैसला करना होगा। इसी प्रकार, केवल भूजल जल के पुनर्भरण के लिए उपयोग की जा रही योजनाओं के लिए भी उस क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर अन्वेषक को यह तय करना होगा कि योजना का कम प्रयोग किया गया है या नहीं, क्योंकि आईपीसी और आईपीयू इस प्रकार की योजनाओं में प्रासंगिक नहीं हैं।

मद क्रमांक-32(ख): यदि हां, अर्थात् मद 32(क) में कोड 1 है तो योजनाओं के कम उपयोग के कारण:-

अगर इस योजना का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कम उपयोग के कारण रिकॉर्ड किया जाना है। कोड हैं:-

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 | यांत्रिक खराबी- 2 |
| पानी का कम रिसाव- 3 | धन की अनुपलब्धता- 4 |
| रख रखाव की कमी- 5 | कोई अन्य कारण- 9 |

प्रगणक/ अन्वेषक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए और हस्ताक्षर तारीख के साथ होना चाहिए।

पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और हस्ताक्षर तिथि के साथ होना चाहिए।

सतही जल अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश

गाँव की सभी सतही जल सिंचाई योजनाओं यथा सतही प्रवाह एवं सतही उन्नयन योजनाओं की गणना की जाएगी जो कि सिंचाई के उपयोग में लाई जाती हैं या जो केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए हैं। गाँव की सभी सतही जल योजनाओं को सूचीबद्ध कर गणना की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी स्कीम गणना से छूटे नहीं। यदि किसी स्कीम का कमान क्षेत्र एक से अधिक गाँव में फैला है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल एक ही स्कीम गिना जाएगा वो भी उस गाँव के लिए जहाँ कि वह स्कीम स्थित है। वर्ष 2017-18 के दौरान एवं इससे पूर्व स्थापित योजनाओं के लिए ही प्रपत्र भरे जायेंगे। हालांकि, इस गणना में ऐसी स्कीमें शामिल नहीं की जाएँगी जो कि 2013-14 के दौरान या उससे पहले से स्थायी रूप से उपयोग में नहीं हैं। प्रत्येक सतही जल योजना के लिए अलग-अलग प्रपत्र भरे जायें।

I. पहचान विवरण:

राज्य / जिला / ब्लॉक (तहसील) गाँव का नाम संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा जैसा कि राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन किया गया है और एनआईसी को भेजा गया है। राज्य / संघ शासित प्रदेश के लिए अद्यतन निर्देशिका में दिए गए नाम और कोड का उपयोग किया जाना चाहिए।

गणना की तिथि: गणना की तिथि को दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YY) के प्रारूप में दर्ज करना है।

II. विशिष्ट जानकारी:

मद क्रमांक-1: योजना की क्रम संख्या:-

गाँव की समस्त सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को क्रमवार नंबर देकर सूचीबद्ध करना है। यह नंबर उस गाँव में उस योजना के पहचान नंबर के तौर पर काम आएगा। लघु सिंचाई योजनाओं को नंबर देते समय यह ध्यान रखा जाए कि आँकड़े संग्रह का कार्य उस गाँव के उत्तर-पश्चिम कोने से प्रारंभ करना है और सर्पाकर शैली में चलते हुए 0001 नंबर से शुरू करते हुए भूजल योजनाओं तथा सतही जल योजनाओं को सीरियल नंबर देना है। हर गाँव में भूजल और सतही जल योजनाएं दोनों के लिए अलग-अलग सीरियल नंबर 0001 से प्रारंभ करना है।

मद क्रमांक-2: योजना का प्रकार:-

योजना का प्रकार निम्न कोड से दर्ज किया जाए :-

सतही प्रवाह योजना -1, सतही उन्नयन (लिफ्ट) योजना -2

ऐसी योजनाएं जैसे कि तालाब या हौज़ (टैंक)/ जलाशय जिनकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर तक हो और जिसका जल वितरण प्रवाह द्वारा खेत तक नाली से हो रहा हो, उसे कोड-1 में शामिल करना है। ऐसी योजनाओं को, जिनमें नदी/नाले या तालाब/ हौज़(टैंक) से डीजल/विद्युत शक्ति द्वारा पंप सेट की मदद से या मानविक/ पशु चालित पद्धति से पानी लिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें सतही उन्नयन (लिफ्ट) योजना में शामिल किया जाएगा। ऐसे तालाब या हौज़(टैंक) जिनका उपयोग सिंचाई के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है और वे केवल मछली पकड़ने/ पीने के लिए हैं, ऐसे जल निकायों को सतही जल योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के तालाब/ हौज़(टैंक)/ जलाशय गांव के आवासीय क्षेत्र के भीतर या गांव के किनारे और कभी-कभी गांव से दूर भी हो सकते हैं। गांव के जानकार व्यक्तियों की मदद से ऐसे जल निकायों के उपयोग के बारे में पता करके ही उचित जानकारी की जा सकती है।

मद क्रमांक-3.1: यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है तो सतही प्रवाह योजना का प्रकार:-

यदि योजना सतही प्रवाह है, तो योजना के प्रकार का कोड दर्ज करना है। योजना के प्रकार को रिकॉर्ड करते समय संकल्पनाओं एवं परिभाषाओं का संदर्भ लिया जा सकता है जो अवधारणा और परिभाषा के भाग में दिया गया है। कोड हैं: -

जलाशय -1, हौज़(टैंक)/ तालाब -2, अन्य जल भंडार -3,

स्थायी विपथन (Permanent Diversion)-4,

अस्थायी विपथन (Temporary Diversion) -5,

जल संरक्षण-कम-भूजल पुनर्भरण योजना/जलरिसाव हौज़/चेक डैम आदि -6,

झरना प्रवाह -7, अन्य - 9

जलाशयों को कोड 1 दिया जाएगा जो कि आकार में बड़े होते हैं और विशेष रूप से सिंचाई प्रयोजनों के लिए बनाए गए हैं। तालाब/हौज़ के लिए कोड 2 दिया जाएगा। हौज़ (टैंक) न तो बहुत ही छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा, लेकिन इसे पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता हो सकती है। जबकि तालाब छोटे जल निकाय होते हैं जो अधिकतर कच्ची बनावट के होते हैं और उन्हें पार करने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं होती है। स्थायी विपथन (Permanent Diversion) ऐसे निर्मित नाले हैं जो सिंचाई प्रयोजनों के लिए सतही जल निकायों से पानी के स्थायी विपथन के लिए बनाए गए हैं। अस्थायी विपथन ऐसे विपथन हैं जो कुछ समय

के लिए कच्चे निर्माण द्वारा सतही जल निकायों से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए छोटी अवधि के लिए पानी को ले जाने के लिए बनाये जाते हैं।

मद क्रमांक-3.2: यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है तो सतही उन्नयन योजना का प्रकार:-

यदि योजना सतही उन्नयन (लिफ्ट) है, तो दिए गए कोडों में से किसी भी एक कोड को दर्ज किया जा सकता है।

नदी पर -1, धारा पर -2, नाले/नहर पर -3,
हौज़/ तालाब/ जलाशय/ चेक डैम पर -4, अन्य -9

मद क्रमांक -4: योजना का स्वामी:-

योजना के स्वामित्व का कोड देना है। व्यक्तिगत किसान होने के मामले में स्वामी का नाम भी दर्ज किया जाना है। कोड निम्नानुसार हैं:

सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व -2, पंचायत स्वामित्व -3, किसानों के समूह का स्वामित्व -4, एकल किसान का स्वामित्व -5, अन्य -9।

योजना का मालिक किसान/ सहकारी समिति/ सरकारी विभाग/ संगठन/ किसानों का समूह हो सकता है। इस मद में स्वामित्व का प्रकार कोड के रूप में दिखाया जाना है। योजना के स्वामी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, पड़ोसी से या उस व्यक्ति से पूछताछ करके प्रविष्टि दर्ज करनी है जो उस योजना को संचालित करता हो।

मद क्रमांक-5: खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है:-

योजना जिस जगह पर स्थापित है उसका खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. दिया जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता होने पर भौतिक सत्यापन किया जा सके।

मद क्रमांक-6(क): स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (केवल व्यक्तिगत स्वामी के मामले में):-

इस मद को केवल एकल किसान के लिए भरा जायेगा। किसान के नाम में और उसके स्वामित्व की कुल भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में (दशमलव के तीन अंक में) अंकित किया जाए। यदि अनुसूची भरते समय क्षेत्रफल स्थानीय इकाई में पता चलता है तो इसे पेंसिल से नोट कार लिया जाए और बाद में कैलकुलेटर द्वारा स्थानीय इकाई से हेक्टेयर में परिवर्तित करने के पश्चात ही अनुसूची में अंतिम रूप से दर्ज करना चाहिए।

मद क्रमांक-6(ख): योजना के स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए):-

यह मद केवल एकल किसान का स्वामित्व होने पर ही भरा जायेगा और किसान के सामाजिक वर्ग का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दिया जाए ।

क्र.सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति	1
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4.	अन्य	9

सामाजिक वर्ग केंद्र सरकार के अधिसूचना अनुरूप ही भरा जाना है। कुछ राज्य सरकारों में अन्य पिछड़े वर्ग में रोजगार के लिए कुछ जातियों को विशेष पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग में नहीं वर्गीकृत होते हैं। यदि कोई सामाजिक वर्ग राष्ट्रीय स्तर के चयन हेतु एससी/एसटी/ओबीसी में शामिल हो तभी इस मद में दर्ज किया जाना चाहिए।

मद क्रमांक-6(ग): स्वामी पुरुष,स्त्री या किन्नर है? (केवल एकल किसान के लिए):

योजना का स्वामी पुरुष,स्त्री या किन्नर है इसका समुचित कोड (पुरुष-1, स्त्री -2, किन्नर-3) इस मद में दिया जाना है।

मद क्रमांक-7: योजना की स्थापना का वर्ष:-

योजना की स्थापना के वर्ष का उचित कोड इस मद में भरा जायेगा। जिस योजना की स्थापना 2013-14 के पहले या 2013-14 के दौरान हुई हो, उसे कोड-1 दिया जाएगा। कोड हैं:

क्र. सं.	विवरण	कोड	क्र. सं.	विवरण	कोड
1.	2013-14 के पहले या दौरान	1	4.	2014-15 के दौरान	2
2.	2015-16 के दौरान	3	5.	2016-17 के दौरान	4
3.	2017-18 के दौरान	5			

मद क्रमांक-8: (क) योजना की निर्माण लागत (रुपये में):-

योजना की स्थापना के समय योजना के निर्माण की लागत (मशीनरी की लागत को छोड़कर) इस मद में सूचित की जाएगी। सतही जल योजनाओं के मामले में तालाब/ टैंक/ अन्य भंडारण या चिनाई या बगैर चिनाई वाले विपथन के लिए खुदाई में लगी मजदूरी की लागत निर्माण की लागत में शामिल होगी। इसमें जमीन की लागत भी शामिल होगी यदि जमीन के मालिक ने इसे वास्तव में जल निकाय के निर्माण के लिए खरीदा है।

मद क्रमांक-8 (ख): मशीनरी का मूल्य (रूपयों में) :-

योजना में लगे मोटर/ पंप/ सौर ऊर्जा पैनल/ जल वितरण यंत्र जैसे पाइप, ड्रिप या फव्वारे पर हुआ व्यय इस मद में शामिल किया जाएगा। इन सामानों को विभिन्न वर्षों में खरीदने पर हुआ व्यय भी इसी मद में शामिल किया जाएगा।

मद क्रमांक-8(ग): वर्ष 2017-18 में मरम्मत पर व्यय:

संदर्भ वर्ष 2017-18 के दौरान योजना में की गई मरम्मत और रख-रखाव के खर्च को इस मद में नोट किया जाना है। यदि मशीन बदली गई हो या बढ़ाई गई हो तो उसे इस मद में शामिल नहीं करना है। तालाब/ टैंक/ जलाशय और अन्य भंडारण से गाद को हटाने का व्यय और सीमाओं/नालों या उन्नयन यंत्र/ पाइप की मरम्मत पर हुआ व्यय भी इसमें शामिल होगा।

मद क्रमांक-9(क): वित्तपोषण के प्रमुख दो स्रोत (केवल एकल किसान के लिए):

इस मद का उद्देश्य योजना के निर्माण के मुख्य वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना है जो कि कृषकों द्वारा स्वयं की बचत, बैंक ऋण या शासकीय अनुदान हो सकता है। अधिकतम दो प्रमुख वित्तीय स्रोतों के उपयुक्त कोड यहां दर्ज किये जाने हैं। यदि योजना के निर्माण के लिए धनराशि दो से अधिक स्रोतों से प्राप्त की है, ऐसी स्थिति में सबसे अधिक राशि जिन दो स्रोतों से ली है, उनके कोड क्रमांक अंकित किये जाने हैं। कोड हैं:

बैंक ऋण -1, सरकारी वित्तपोषण -2, निजी बचत -3, साहूकार -4, अन्य -9

इस मद में योजना के निर्माण और मशीनरी के क्रय के लिए लगे धन का स्रोत पर विचार किया जाना है। अगर पैसा न तो सरकार से लिया है न ही बैंक/ साहूकार से लिया है, तो यह स्वयं की बचत से या मित्रों और रिश्तेदारों से हो सकता है। अगर दोस्तों/ रिश्तेदारों से लिए गए ऋण पर ब्याज देना है, तो इसे साहूकार से लिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों से ऋण को सरकार के रूप में लिया जाना है और सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंकों/ भूमि विकास बैंकों से लिए ऋण को बैंक ऋण में शामिल किया जाना है।

मद क्रमांक-9(ख): क्या कोई सरकारी/ सरकारी उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ?:-

यदि किसी योजना की स्थापना के लिए खुदाई या मशीन की खरीद/ वितरण प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो तो अनुदान की राशि पूर्ण रु. में मद 9(ख)(i) योजना के निर्माण/ बोरिंग/ खुदाई हेतु और 9(ख)(ii) मशीनरी के मूल्य/ जल वितरण उपकरण हेतु अलग अलग अंकित की जाएगी। यदि कोई अनुदान/ सहयोग निर्माण के लिए या मशीनरी के लिए दिया जाता है तो उसे इन मदों में दर्ज किया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान का मूल्यांकन कर के संबंधित मद में शामिल किया जाएगा।

मद क्रमांक-10(क): योजना की वर्तमान स्थिति :-

इस मद का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वर्तमान में योजना उपयोग में आ रही है या स्थाई अथवा अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है जिसके लिए निम्नानुसार कोड अंकित किया जाना है।

क्र.सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	योजना उपयोग में आ रही है	1
2.	अस्थायी (Temporary) रूप से उपयोग में नहीं ।	2
3.	स्थायी रूप से उपयोग में नहीं ।	3

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, छठी लघु सिंचाई गणना का संदर्भ वर्ष 2017-18 है। योजना जो संदर्भ वर्ष 2017-18 से दो वर्ष पहले से अर्थात् 2015-16 और 2016-2017 से अस्थायी कारणों से उपयोग में नहीं आ रही है किंतु अनुपयोगी भी घोषित नहीं हुई है उसे "अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं" में वर्गीकृत किया जाएगा । "उपयोग में" एवं "अस्थायी (Temporary) रूप से उपयोग में नहीं" योजनाओं को छोड़ कर बाकी योजनाओं को "स्थायी रूप से उपयोग में नहीं" में वर्गीकृत किया जाएगा।

मद क्रमांक-10(ख): यदि मद 10(क) में कोड 2 या 3 है, तो योजना कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है?

इस मद में उपयोग में नहीं होने के समय की अवधि वर्षों में अंकित की जाएगी। यह 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' या 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं होने वाली दोनों तरह की योजनाओं के लिए दिया जाएगा। "स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही योजनाओं" में 2013-2014 या उससे पहले से स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही योजनाएं शामिल नहीं होंगी क्योंकि ये छठी लघु सिंचाई गणना के कवरेज से बाहर हैं।

मद क्रमांक-11: योजना के अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" होने के कारण (मद क्रमांक 10(क) में कोड 2) :-

योजना के "अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं" होने के कारण का कोड दिया जाना है जो निम्नानुसार है:-

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 | यांत्रिक खराबी- 2 |
| पानी का कम रिसाव- 3 | धन की अनुपलब्धता- 4 |
| भंडारण पूरा नहीं भरा -5 | नहर/ भंडारण में गाद- 6 |
| नालियों की टूट फूट -7, | कोई अन्य कारण- 9 |

मद क्रमांक-12: योजना के स्थाई रूप से “उपयोग में नहीं” होने के कारण (मद क्रमांक -10(क) में कोड 3):-

योजना के “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं” होने के कारण के लिए निम्नानुसार कोड देना है:-

- खारेपन के कारण- 1, सूख जाना- 2,
मरम्मत लायक नहीं- 3 समुद्री जल प्रवेश के कारण- 4,
औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 5,
ब्रह्त/मध्यम जल परियोजना की उपलब्धता के कारण-6,
डूबने के कारण -7,
अन्य कारणों से- 9

मद क्रमांक-13: जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि:-

वर्तमान में कृषकों द्वारा परंपरागत विधियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन अपनाये जा रहे हैं। परंपरागत विधि जैसे भू-सतह पर पानी की नाली और भूमिगत पानी की नालियों के अतिरिक्त फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई और टपकन (ड्रिप) सिंचाई विधि ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। कृषकों द्वारा उपयोग में लाए गए पानी के वितरण की विधि/ यंत्र का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए।

- खुली नाली (पक्की) - 1, खुली नाली (कच्ची)- 2, भूमि गत पाइप- 3,
सतही पाइप - 4, टपकन सिंचाई- 5, फव्वारा सिंचाई- 6, अन्य- 9

मद क्रमांक-14: उन्नयन संयंत्रों (Lifting Device) का प्रकार (केवल सतही लिफ्ट स्कीम हेतु):-

योजना से पानी निकालने हेतु उपयोग में लाये गए साधनों का उचित कोड निम्नानुसार दिया जाए। कोड है:

- सबमर्सिबल पंप-1, अपकेन्द्री (centrifugal) पंप -2, टर्बाइन/ जेट पंप -3, मानविक/ पशु चालित- 4, अन्य - 9

मद क्रमांक-15: ऊर्जा का स्रोत (केवल सतही लिफ्ट स्कीम हेतु):-

पानी निकालने के सिंचाई साधनों को चलाने के लिए उपयोग किये जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों में से उपयुक्त कोड दर्शाया जाए। कोड हैं:

- विद्युत-1, डीजल-2, वायु जनित्र- 3,, सौर -4, मानविक/ पशु चालित- 5, अन्य - 9

मद क्रमांक-16: सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल अश्व शक्ति: (मानविक/ पशु चालित-के लिए खाली छोड़ दें):

पानी निकालने के लिए प्रयुक्त साधन की अश्व शक्ति (HP) को दर्ज किया जाना है। मानव श्रम/ पशु शक्ति द्वारा चालित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-17: पम्प चालन दिवस (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें):-

किसान द्वारा सूचित किए गए पंप उपयोग के मौसमवार दिवसों की संख्या दी जायेगी। मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चालित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-18: प्रति दिन औसत पम्प चालन घंटे (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें):-

इस मद में किसान द्वारा सूचित किए गए मौसम/फसल-वार प्रति दिवस पंप चालन के औसत घंटों की संख्या दी जाएगी। मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चालित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा।

मद क्रमांक-19(क): क्या योजना नहर जैसी बृहत/ मध्यम जल परियोजना के अंतर्गत स्थित है:

कुछ लघु सिंचाई योजनाएं बृहत/ मध्यम योजनाओं के कमान में सिंचाई के उपयोग के लिए स्थित हो सकती हैं। ऐसी योजनाओं को भी गणना करना है। उनके उपयोग के आधार पर उपयुक्त कोड इस मद में नोट किया जाना है:

नहीं -1

हाँ - 2

मद क्रमांक-19(ख): यदि योजना कमांड क्षेत्र में है यानि मद 19 (क) में कोड 2 है:

आम तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि बृहत/ मध्यम योजनाओं के कमांड क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं की कम संख्या होनी चाहिए क्योंकि पानी मध्यम या बृहत योजना से सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके बावजूद अगर कमांड क्षेत्र में कोई लघु सिंचाई योजना मौजूद है, तो इसके कारण की सूचना दी जानी है। कोड हैं:

सिंचाई के लिए बृहत/ माध्यम योजना से खेत तक पानी उपलब्ध नहीं है कोड-1,

पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के पर्याप्त नहीं-2

पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के योग्य नहीं-3,

अन्य कारण -9.

कमांड क्षेत्र का नाम आइटम 19(ख)(i) में दर्ज किया जाना है और कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आ रही लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कारण कोड आइटम 19(ख)(ii) में सूचित किया जाना है।

मद 19(ग): क्या यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? (हाँ -1, नहीं 2):

कई ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं और केवल भूजल के पुनर्भरण (Recharge of Ground water) के लिए प्रयुक्त होती हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस योजना का निर्माण केवल भूजल पुनर्भरण के लिए किया गया है न कि सिंचाई के लिए। ऐसे मामलों में कोड-1 दिया जाना है और मद 20 से 30 को खाली छोड़ दिया जाना है। इस तरह के मामले बहुत कम हो सकते हैं। अधिकतर योजनाएं सिंचाई के उपयोग के लिए ही होंगी यानि मद 19(ग) में कोड 2 होगा।

मद क्रमांक-20: कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA):

इस कॉलम में योजना द्वारा सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में दर्शाया जाना चाहिए। यह आमतौर पर स्थापना के समय योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र का माप होता है। यदि यह योजना बहुत पुरानी है और भूमि उपयोग आदि में परिवर्तन होने के कारण पुराना कृषि योग्य कमान क्षेत्र ज्ञात करना संभव नहीं है, तब इस योजना की वर्तमान अधिकतम कृषि योग्य कमान क्षेत्र(CCA) का उल्लेख किया जाएगा। यदि सीसीए दूसरे गांव तक फैला है, तो भी पूरे सीसीए को इस गांव में स्थित इस योजना के लिए ही दर्ज किया जाना है।

मद क्रमांक-21 से 25: मौसम-वार सृजित सिंचाई क्षमता (आई पी सी):-

इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत सिंचाई साधनों से कुल सृजित सिंचाई क्षमता ज्ञात करना है। इसमें खरीफ, रबी, बारहमासी और अन्य मौसम के लिए प्रस्तावित सिंचाई का क्षेत्रफल लिया जाएगा। मद 25 में, मद 21 से मद 24 तक का योग दर्शाया जायेगा। संबंधित योजना के द्वारा मौसमवार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल मद क्रमांक 21,22 और 24 में दर्शाया जायेगा। मद 23 में बारहमासी फसलों की सूचना दर्ज की जाएगी। यदि योजना को उन्नत किया गया है तो संशोधित क्षमता को दिखाना है। मद 25 में कुल सृजित सिंचाई क्षमता को दिखाना है। सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा।

मद क्रमांक 26 से 30: वर्ष 2017-18 में मौसम-वार वास्तविक सिंचाई क्षमता का उपयोग (आई पी यू):-

इस मद में वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी व अन्य मौसम में वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्रफल अंकित किया जाएगा। मद क्रमांक 30 में कुल उपयोग की गई सिंचाई क्षमता दर्ज की जाएगी। मद क्रमांक 30 में मद क्रमांक 26 से 29 तक का योग दिया जायेगा। मद क्रमांक 26 से 30 के प्रत्येक मद में दर्ज क्षेत्रफल मद क्रमांक 21 से 25 के प्रत्येक मद में

दर्ज क्षेत्रफल से या तो कम होगा या बराबर होगा। सिंचाई क्षमता के उपयोग का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा।

ऐसी स्कीम भी हो सकती है जो कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है और जिसका उपयोग पूरक सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे कि हौज़(टैंक)/तालाब/नाले पर स्थित लिफ्ट स्कीम, जो कि बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्णय लघु सिंचाई योजना के कवरेज में आने वाले खेत तक बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के पानी की वास्तविक उपलब्धता से लिया जाएगा। इस तरह की पूरक सिंचाई की मात्रा का आंकलन करने के लिए भी मद 26 से 30 में आँकड़े दर्ज किया जाना है।

ऐसी स्कीम, जो कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है, के द्वारा पूरक सिंचाई की उपयोग की गई क्षमता दर्ज करने के लिए सकल सिंचित क्षेत्रफल को उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जितनी बार लघु सिंचाई योजना का उपयोग उस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई क्षेत्र लघु सिंचाई योजना द्वारा दो बार सींचा गया हो और बृहद या मध्यम योजना द्वारा तीन बार सींचा गया हो तब लघु सिंचाई योजना द्वारा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता उस क्षेत्र का 2/5 गुना होगा।

मद क्रमांक-31 (i): क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल प्रयोग में आ रही योजनाओं के लिए):-

उपयोग में आ रही योजनाओं में यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इसका पूरा उपयोग हो रहा है? यदि हां तो कोड-1 दिया जाना है अन्यथा कोड-2 दिया जाना है। अगर योजना में आईपीयू आईपीसी से काफी कम है तो योजना का उपयोग कम माना जा सकता है।

यदि कोई लघु सिंचाई योजना बृहद या मध्यम सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में है और आईपीयू आईपीसी की तुलना में कम है, तब भी कम उपयोग नहीं माना जा सकता क्योंकि यह योजना केवल आवश्यक पूरक सिंचाई प्रदान कर रही है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कमांड क्षेत्र के बाहर की योजनाओं के लिए, योजनाओं को कम उपयोग में तभी माना जाएगा, यदि मद 30 में आईपीयू मद 25 में आईपीसी से काफी कम है और योजना कमान क्षेत्र के बाहर है यानी मद 19 (ए) में कोड 1 है। कमान क्षेत्र में स्थित योजना के लिए आईपीयू आईपीसी का अनुपात, योजना के कम उपयोग के निर्धारण के लिए वास्तविक निर्णायक कारक नहीं होगा। अन्वेषक को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति देख कर फैसला करना होगा। इसी प्रकार, केवल भूजल जल के पुनर्भरण के लिए उपयोग की जा रही योजनाओं के लिए भी उस क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर अन्वेषक को यह तय करना होगा कि योजना का

कम प्रयोग किया गया है या नहीं, क्योंकि आईपीसी और आईपीयू इस प्रकार की योजनाओं में प्रासंगिक नहीं हैं।

मद क्रमांक-31(ii): यदि हां, अर्थात् मद 31(क) में कोड 1 है तो योजनाओं के कम उपयोग के कारण:-

अगर इस योजना का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कम उपयोग के कारण रिकॉर्ड किया जाना है। कोड हैं:-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 | यांत्रिक खराबी- 2 |
| पानी का कम रिसाव- 3 | भंडारण पूरा नहीं भरा -4 |
| नहर/ भंडारण में गाद- 5 | नालियों की टूट फूट -6, |
| कोई अन्य कारण- 9 | |

मद क्रमांक-32: योजना द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या: इस मद में योजना द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या दर्ज की जाएगी। भले ही एक से अधिक गांव में सिंचाई के लिए एक योजना का उपयोग किया जाता है, इसके विवरण को गांव के तहत उसी अनुसूची में शामिल किया जाएगा जहां योजना स्थित है और इसकी सिंचाई क्षमता या सिंचाई क्षमता के इस्तेमाल की सूचना एक ही अनुसूची में भरी जाएगी जिस गांव में यह योजना स्थित है।

मद क्रमांक-33: जलाशय, हौज़, अन्य भंडार के विशेष विवरण:-

इस मद का उद्देश्य जल भण्डारण योजनाओं से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारीयों एकत्र करना है। मद 33(क) से 33(ग) तक सूचना तभी भरी जाएगी जब मद 3.1 में कोड 1,2,3 है या मद 3.2 में कोड 4 है। यह भी ध्यान रखना है कि यदि एक तालाब/ जलाशय, हौज़, अन्य भण्डार पर एक से अधिक सतही लिफ्ट योजनाएँ हैं तो सूचना के दोहराव (duplication) से बचने के लिए मद 33(क) से 33(ग) तक की जानकारी उस जल निकाय (वाटर बॉडी) पर स्थित प्रथम योजना की अनुसूची में ही दी जानी है। अन्य अनुसूचियों में मद 33(क) से 33(ग) खाली छोड़ना है।

(क): अभिकल्पित क्षमता (घन मीटर में): जल निकाय की जल भंडारण क्षमता इस मद में सूचित की जानी है। यदि संभव हो तो टैंक/ तालाबों/ जलाशयों के भंडारण की सूचना रेकॉर्ड से ली जा सकती है अन्यथा जल निकाय सतह के क्षेत्र और टैंक की औसत गहराई की सहायता से जल निकाय की भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में आने वाली जल निकाय अर्थात् सहकारी समितियों/ सरकार विभाग के रिकॉर्ड से ली जा सकती है। व्यक्तिगत किसानों के स्वामित्व वाले तालाबों/ टैंकों के मामले में

इसकी अनुमानित मात्रा का अनुमान स्थानीय मालिकों से स्थानीय इकाई में होने पर, घन मीटर में परिवर्तित करके दर्ज करना है।

(ख): भरा हुआ भण्डारण (2017-18 के दौरान): इस मद के लिए जानकारी संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए एकत्रित की जानी है और उपयुक्त कोड दर्ज करना है। इस मद के लिए कोड हैं:

पूर्ण -1, 3/4 तक-2, 1/2 तक-3, 1/4 तक -4, शून्य/ नगण्य भरा - 5

संदर्भ वर्ष के दौरान भण्डारण के भरने की मात्रा के आधार पर कोड दर्ज किया जाएगा।

(ग): भण्डारण के भरने की स्थिति: (पिछले 5 वर्षों के दौरान आधा भरने के आधार पर): उपयुक्त कोड का निर्धारण पिछले 5 वर्षों में 50% भण्डारण को भरने के आधार पर किया जाएगा। कोड हैं:

हर साल भरा -1, सामान्य रूप से भरा -2, कभी कभार भरा -3, कभी नहीं भरा-4

मद क्रमांक-34: जल निकाय से संबंधित विशिष्ट जानकारी:-

(क): जल निकाय अनुसूची के अनुसार 21 अंकों का जल निकाय क्रमांक:- यदि यह सतही जल योजना किसी जल निकाय पर स्थित है तो उस जल निकाय की अनुसूची में दिए गए 21 अंकों के अनन्य (यूनीक) कोड को इस मद में भी दर्ज किया जाएगा। अर्थात् इस सूचना को संबंधित जल निकाय की जल निकाय गणना की अनुसूची से कॉपी करके इस मद में भरना है।

(ख): उपरोक्त जल निकाय में ग्राम के अंतर्गत कुल योजनाओं की संख्या: उपरोक्त जल निकाय में ग्राम के अंतर्गत कुल सतही जल योजनाओं की संख्या मद 34(ख) में दर्ज की जानी है।

(ग): जल निकाय में गांव में इस योजना की क्रम संख्या: यह संख्या जल निकाय पर उस योजना की क्रम संख्या है जिस जल निकाय का अनन्य (यूनीक) कोड मद 34(क) में दर्ज किया गया है। कॉलम 34 (ग) में रिपोर्ट की गई अंतिम संख्या मद 34 (ख) में रिपोर्ट की गई कुल संख्याओं के बराबर होनी चाहिए।

प्रगणक/ अन्वेषक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए और हस्ताक्षर तारीख के साथ होना चाहिए।

पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और हस्ताक्षर तिथि के साथ होना चाहिए।
